

राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्सड टैक्नॉलोजी
(आर-केट) सूचना केन्द्र, एस.एम.एस. हॉस्पिटल के सामने, जयपुर

क्रमांक : एफ1(07)आरकेट/मिस/2023-24-10124/पार्ट-1/391

दिनांक : 09/06/2025

Unique Bid No :- RCT2526550300002

कैन्टीन कार्य हेतु खुली निविदा आमंत्रण सूचना

राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्सड टैक्नॉलोजी, जयपुर की ओर से कैन्टीन कार्य से सम्बन्धित सेवाओं के लिए पात्रता रखने वाले iStart परियोजना में पंजीकृत Startup से 1 वर्ष की अवधि के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका सुविधा शुल्क न्यूनतम राशि रुपये 20,000.00 (अक्षरें बीस हजार रुपये मात्र) प्रति माह निर्धारित किया गया है। निविदा प्रपत्र प्रबंध निदेशक, राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्सड टैक्नॉलोजी, सूचना केन्द्र, एस.एम.एस. हॉस्पिटल के सामने, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किया जाये।

बोली आमंत्रण एवं अपलोड करने की तिथि	दिनांक : 09.06.2025
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक : 20.06.2025 समय : दोपहर 3.00 बजे
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक : 20.06.2025 दोपहर 4.00 बजे तक उपापन समिति एवं उपस्थित बोलीदाओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष राजस्थान सेन्टर ऑफ टैक्नॉलोजी कार्यालय के द्वितीय तल पर कक्ष संख्या 215
अनुमानित कार्य लागत	रुपये 3.00 लाख
बोली प्रपत्र शुल्क राशि	रुपये 100/- (अक्षरें सौ रुपये मात्र) नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंकर्स चैक अथवा पे-आर्डर जो प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्सड टैक्नॉलोजी, जयपुर के नाम का बनवाया जाकर तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
निविदा प्रपत्र/परिशिष्ट/शुद्धि पत्र आदि डाउनलोड करने की वेबसाइट	https://rcat.rajasthan.gov.in https://spppraj.nic.in https://doitc.rajasthan.gov.in https://istart.rajasthan.gov.in
निविदा वैधता अवधि	90 दिन

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Singhal
Designation: Executive Director
Date: 2025.06.09 10:17:56 IST
Reason: Approved



राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्सड टैक्नॉलोजी

(आर-केट) सूचना केन्द्र, एस.एम.एस. हॉस्पिटल के सामने, जयपुर

1. बोलीदाता को बोली प्रपत्र में अपनी पंजीकृत Startup का नाम, पूर्ण पता, दूरभाष, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पता अंकित करना होगा ।
2. बोली प्रपत्र दो पृथक-पृथक लिफाफा में तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफे पर तकनीकी एवं वित्तीय बोली पृथक-पृथक अंकित करना होगा । उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफों में सील करके प्रस्तुत करना होगा, जिस पर "कैन्टीन कार्य हेतु निविदा" अंकित किया जावे ।
3. तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र के साथ चैक लिस्ट में दर्शाये गए वांछित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है । वांछित दस्तावेजों के अभाव में तकनीकी प्रस्ताव अस्वीकृत होंगे ।
4. तकनीकी रूप से योग्य पाई गई पंजीकृत Startup के वित्तीय प्रस्तावों की बोली खोली जायेगी ।
5. बोली प्रपत्र पोर्टल पर प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 20.06.2025 तक दोपहर 2:00 बजे तक अवधाता शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं । सीलबन्द बोली प्रपत्र दिनांक 20.06.2025 तक दोपहर 03.00 बजे तक स्वीकार होंगे जिन्हें आर-केट में स्थित स्वागत पर रखे हुये बोली बॉक्स में डाले जा सकते हैं । तकनीकी बोली प्रस्ताव उपस्थित बोली-दाताओं के समक्ष ही दिनांक 20.06.2025 को दोपहर 4:00 बजे आर-केट भवन कक्ष संख्या 215 में खोले जावेंगे ।
6. वित्तीय प्रस्ताव में राशि शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट अंकित करनी होगी । शब्दों एवं अंकों में लिखी राशि में विभेद होने पर शब्दों में लिखी राशि को सही माना जायेगा । किसी भी संशोधन/कटिंग पर लघु हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

प्रस्तुत करने की तिथि व समय / दोपहर 3:00 बजे तक
खोलने की तिथि व समय / दोपहर 4:00 बजे

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :
2. स्थाई पता :
3. पत्र व्यवहार का पता :
4. दूरभाष :
5. मोबाईल नं. :
6. ई-मेल :
7. बोली प्रपत्र शुल्क रुपये 100/- डी.डी. संख्या : दिनांक:
के द्वारा जमा (रसीद की छाया प्रति संलग्न)
8. बोली जिसको प्रस्तुत करनी है : प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सेन्टर ऑफ
एडवान्स्ड टेक्नॉलोजी, जयपुर ।
9. बोली सूचना संदर्भ :
दिनांक :

संलग्न : चैक लिस्ट अनुसार वांछित दस्तावेज

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

तकनीकी बोली हेतु चैक लिस्ट

निम्न प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों की प्रति तकनीकी बोली के लिफाफे में संलग्न किये जा रहे हैं ।

1. बोली प्रपत्र शुल्क रुपये 100 /— नगद जमा कराई होने पर रसीद की प्रति संलग्न करें। यदि बोली प्रपत्र डाउनलोड किया गया है तब रुपये 100 /— मात्र का नगद, बैंकर्स चैक/डी.डी. संलग्न करें।
2. पंजीकृत Startup के द्वारा GST रजिस्ट्रीकरण की प्रति।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN की फोटो प्रति।
4. बोलीदाता के पास केन्टीन कार्य के लिए उपलब्ध श्रम शक्ति कैंन्टीन संचालन हेतु उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण विवरण।
5. किसी प्रतिष्ठित संस्थान/राजकीय उपक्रम/संस्था/निगम में उक्त कार्य संबंधी गत पांच वर्षों में से किन्ही तीन वर्षों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र।
6. गत तीन वर्षों में रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष कार्य के टर्न ओवर का सी.ए. सर्टीफाईड प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
7. किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का स्वयं का शपथ पत्र।
8. अधिकृत वैद्य खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति।
9. Annexure A, B, C, D of RTPP Act & Rules पर हस्ताक्षर कर उसका साथ में संलग्न किया गया है।

मैंने/हमने बोली में अंकित समस्त शर्तें पढ़ ली हैं व हमें समस्त शर्तें स्वीकार हैं। प्रमाण स्वरूप हमने बोली की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

बोली शर्त

1. बोली प्रपत्र के साथ प्रपत्र शुल्क राशि नगद, डी.डी.या बैंकर्स चैक के रूप में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी ।
2. बोली प्रपत्र की अनिवार्य एवं ऐच्छिक आईटमों को संस्थान द्वारा निर्धारित दरों पर ही बेचा जायेगा, जो कि परिशिष्ट "अ" (अनिवार्य मद) पर अंकित है ।
3. वित्तीय बोली में कैंटीन में उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान हेतु सर्वाधिक सेवा शुल्क राशि देने वाली Startup को कैंटीन ठेका दिया जायेगा। सेवा शुल्क राशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में Startup द्वारा जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित आगामी माह में जमा करवाना होगा 3 माह तक लगातार देरी से सेवा शुल्क राशि जमा करवाने पर कैंटीन का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
4. बोलीदाता को कैंटीन कार्य का गत पांच वर्षों में से तीन वर्ष का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्थान/राजकीय उपक्रम/संस्था/निगम में होना चाहिए।
5. बोलीदाता को गत पांच वर्षों में से तीन वर्ष का टर्न ओवर न्यूनतम रूपये 3.00 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।
6. यह अनुबन्ध 1 वर्ष के लिए किया जा रहा है। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर सात दिवस का नोटिस देकर ठेका रद्द कर दिया जावेगा। अनुबन्ध की शर्तें आर.टी.पी.पी. नियम की धारा 29 के तहत प्रभावी होगी ।
7. कैंटीन का कार्य करने हेतु बोलीदाता को संस्थान की ओर से कोई अनुदान राशि नहीं दी जावेगी।
8. संस्थान की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ जैसे भवन व फर्नीचर आदि को ठीक प्रकार से जिस हालत में संभलाया जावेगा उसी प्रकार रखा जावे, यदि इसमें किसी प्रकार का नुकसान या टूट-फूट होती है तो उसका दायित्व बोलीदाता का होगा और नुकसान की राशि उससे वसूल की जावेगी।
9. कैंटीन के संचालन का समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक रहेगा, विशेष गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान संचालन का समय बढ़ाये जाने हेतु पृथक से अवगत करवाया जावेगा। कैंटीन नही खोली जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा सूचना पर आर्थिक दण्ड रूपये 500/- प्रति दिवस होगा।
10. कैंटीन स्थल में किसी भी श्रमिक को रहने की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं निर्धारित समय पश्चात् कैंटीन का गेट बंद कर ताला लगाया जावेगा।
11. परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावेगा। इस हेतु पंजीकृत Startup द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों हेतु निश्चित ड्रेस कोड होगा जिसपर Startup का नाम अंकित होगा, कार्मिक को कार्य के दौरान सिर पर टोपी, हाथों में ग्लब्स, चेहरे पर मास्क व साफ ड्रेस का प्रयोग करना होगा।
12. पंजीकृत Startup के कार्मिकों को प्रति 15 दिवस में संस्थान में स्थित राजकीय चिकित्सालय में अपने स्वास्थ्य की जाँच करवानी होगी व अस्वस्थ होने की दशा में फर्म द्वारा अन्य कार्मिक की व्यवस्था करने होगी।
13. हाइजिन सामग्री का उपयोग करना होगा।
14. किसी भी प्रकार की मिलावटी सामग्री का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
15. नास्ता/भोजन/चाय/कॉफी व अन्य खाद्य सामग्री के निर्माण या वितरण सामग्री के समय पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखा जावेगा ।

16. निर्माण में प्रयुक्त की जानी वाली सामग्री या वितरण सामग्री को गर्म पानी से अच्छी तरह से साफ करने के पश्चात् ही प्रयोग में लिया जायेगा ।
17. कैंटीन में हीटर आदि का संचालन निषेध होगा यदि हीटर उपयोग लेते हुए पाया गया तो निर्धारित दण्ड एवं ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
18. बोलीदाता को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री कार्यालय समयानुसार रखनी होगी। विभाग की निर्धारित कमेटी द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच स्वयं के स्तर पर अथवा अधिकृत राजकीय लेबोरेट्री से करवायी जा सकती हैं। यदि नमूना जांच को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसी समस्त खाद्य सामग्री को नष्ट कराये जाने का विभाग को अधिकार होगा तथा फर्म के विरुद्ध पेनल्टी लगाये जाने का कार्यकारी निदेशक आर-केट को पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी जाँच में दोषी पाये जाने का परीक्षण व्यय भी Startup के बिल से वसूल किये जावेंगे। बोलीदाता के फर्म के नाम से चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी वैद्य खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है तथा इसे बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
19. चाय एवं कॉफी के लिए स्टैंडर्ड मात्रा 150 मिलीलीटर रखनी होगी । उक्त चाय/कॉफी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मंगवाने पर उनके कक्षों में तथा पाठ्यक्रम निदेशकों द्वारा मंगवाने पर क्लास रूम के पास निर्धारित स्थान एवं निर्धारित समय पर उपलब्ध करवानी होगी तथा क्लास रूम आदि के बाहर जो चाय आदि उपलब्ध करवाई जावे उसमें चाय की केतली के नीचे डस्टबीन रखा जावे । जिससे चाय फर्श पर नहीं गिरे ।
20. खान पान में प्रयुक्त किये जाने वाले खाद्य पदार्थ आटा, तेल, मसाले, सब्जियाँ शुद्ध, ताजा एवं अच्छी किस्म की होनी चाहिये। कैंटीन भवन के फर्श, टेबल, कुर्सियों आदि की समुचित रूप से सफाई/सुरक्षा की व्यवस्था बोलीदाता को रखनी होगी । इसमें किसी प्रकार की मिलावट, दूषित एवं बासी पाये जाने पर व समुचित सफाई व्यवस्था न पाये जाने की स्थिति में चैक लिस्ट के अनुसार शास्ति लगाई जावेगी।
21. कैंटीन में मंदिरा, बियर तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थ एवं सिगरेट तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। केवल पार्ट-ए में वर्णित सामग्री का ही विक्रय कर सकेगा अन्यथा चैक लिस्ट अनुसार शास्ति लगाई जावेगी।
22. संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं दैनिक क्रियाकलापों में आर-केट केन्द्र की ओर से मंगवाई जाने वाली सामग्री का भुगतान क्रेडिट बिल द्वारा करने पर देय होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को उधार बिक्री करने पर वसूली की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
23. यदि कैंटीन में सिलेण्डर फटने अथवा अन्य किसी कारण से किसी जान-माल की दुर्घटना होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व बोलीदाता का होगा । इस सम्बन्ध में संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा । कैंटीन में व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग करना होगा ।
24. चाय केतली, कप प्लेट आदि पूर्णतया स्वच्छ एवं अच्छे स्तर के होने चाहिये। टिशू-पेपर भी जरूरत के अनुसार देना होगा।
25. डिस्पोजल आइटम को निर्धारित कचरा पात्र में डलवाना होगा इस हेतु दो बड़े डस्टबीन (गीले व सूखे कचरे हेतु अलग-अलग) रखने होंगे, तथा कैंटीन के आस पास के क्षेत्र की सफाई बोलीदाता को करवानी होगी ।
26. इस अनुबन्ध का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा ।
27. बोलीदाता यह गारण्टी देगा कि प्रदाय की जाने वाली सेवायें कार्य विस्तृत विवरणानुसार उत्तम किस्म का होगा । कार्य की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय/अन्तिम होगा तथा निविदाकारों के लिए मान्य होगा । प्रदाय की जाने वाले सेवायें/कार्य जिन्हें अस्वीकार अथवा पुनः

कराये जाने के कारण कोई व्यय होगा या प्रदायक को हानि हो तो वे पूर्ण रूप से बोलीदाता से वसूल की जावेगी ।

28. (क) स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अथवा यथावत अधिकृत प्रतिनिधि उचित समयों पर किये जाने वाले कार्य तथा इस हेतु प्रयोग में ली जा रही सामग्री का निरीक्षण कर सकेगा एवं किये जाने वाले निरीक्षण में बोलीदाता पूर्ण सहयोग करेगा ।
- (ख) बोलीदाता को अपने कार्यालय/निवास का पूरा पता एवं उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे संविदा में किये गये कार्य हेतु सम्पर्क किया जावे। निश्चित रूप से देने तथा कार्य समय में स्वयं या उसके प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा ताकि निर्देशानुसार कार्य करवाया जा सके। बोलीदाता निविदा कार्यों को किसी भी दशा में सवलेट नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर निविदा निरस्त की जाकर फर्म के विरुद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
29. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली में निर्दिष्ट कार्य/निर्दिष्ट क्षेत्र मात्रा से कम के कार्यादेश दिये जाने पर भी बोलीदाता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि देय नहीं होगी।
30. केन्टीन कार्य हेतु रखे गये श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। श्रमिकों को प्रचलित प्रावधानों के अनुसार ESI, PF आदि श्रम कानूनों के अनुसार पूर्ण लाभ व सुविधाएँ देने की जिम्मेदारी पंजीकृत Startup की होगी।
31. केन्टीन में एवं इसके आसपास की साफ-सफाई का कार्य फर्म द्वारा ही करवाना होगा। कचरे को कचरा पात्रों या नगर निगम के वाहन में डलवाया जाने का कार्य फर्म द्वारा ही किया जावेगा।
32. सफल बोलीदाता को अपने खर्च पर बोली स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से पन्द्रह दिवस में निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना पड़ेगा।
33. फर्मों को किये गये संदाय पर विप्रेषण व्यय (रेमिटेन्स चार्ज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जावेगा।
34. बोलीदाताओं को मिले बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किसी भी पत्रादि को नहीं हटाना चाहिए तथा सभी पत्रादि पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ संख्या पर भी फर्म की मोहर सहित अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर बोली के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
35. बोलीदाता को अनुबन्ध के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- पार्टनरशिप पंजीकृत Startup की स्थिति में 1. पार्टनरशिप डीड की सत्य प्रतिलिपि। 2. पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत होने की स्थिति में पंजीयन क्रमांक एवं संबंधित प्रमाण-पत्र। 3. एकल स्वामित्व की स्थिति में कार्यालय एवं निवास का पता एवं टेलीफोन नम्बर।
 - सभी प्रकार के टैक्स इत्यादि के भुगतान का दायित्व बोलीदाता का ही होगा।
 - उपरोक्त शर्तों के अलावा बोली की संबंध में किसी भी अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जावेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्स्ड टैकनॉलाजी, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
39. उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिकों के नाम, पता मोबाईल नम्बर तथा उनका आईडेन्टी प्रूफ की प्रति देनी होगी तथा उक्त समस्त पत्रों की प्रति ठेकेदार को कार्यादेश के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन को भी देनी होगी।

40. सफल बोलीदाता की और से केन्टीन में कार्य करने वाले कार्मिक की आसमानी रंग की पोशाक पहननी होगी तथा कार्मिक साफ सुथरे होने चाहिये एवं उनकी पोशाक भी संस्थान में कार्य करते समय साफ सुथरी होनी चाहिए।
41. शेष शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार मान्य होगी।
42. वित्तीय बोली प्रस्ताव के साथ विभिन्न खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दरें निर्धारित हैं। बोलीदाता को अनिवार्य आइटमों का प्रपत्र (परिशिष्ट-अ) पर हस्ताक्षर मय मोहर कर देना आवश्यक है, हस्ताक्षर मय मोहर के अभाव में उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
43. बोलियों की विधि मान्यता की कालावधि RTPP Rules, 2013 के अनुसार होगी।
44. संस्थान के पास बोली प्रक्रिया को रद्द करने और कोई या समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
45. बोली में कोई संशोधन/उपरिलेखन तक विधिमान्य होगा जब वे बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित हो।
46. RTPP Act की धारा 46 के अधीन विवर्जित फर्म वाली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी।
47. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति राशि RTPP Rules, 2013 के नियम 42(।।) में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने पर समपद्धत कर ली जावेगी।
48. RTPP Rules, 2013 के नियम 69 में विहित प्रावधानों के तहत आवश्यकता होने पर बातचीत की प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी।
49. वित्तीय बोली में सर्वाधिक दर केन्टीन को उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान हेतु सुविध शुल्क प्राप्त होने पर ही बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जाकर केन्टीन का कार्यादेश दिया जावेगा।
50. Annexure A, B, C, D of RTPP Act & Rules पर हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान कर दी गई है।
51. एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी ईट राईट कैम्पस की गाईडलाईन की पूर्ण पालना की जावेगी।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

➤ चैक लिस्ट के अनुसार केन्टीन कार्य में कमी पाई जाने की दशा में की जाने वाली कटौती का विवरण :

क्र. स.	कार्य विवरण	कार्य करवाने का विवरण	कार्य न करवाने पर शास्ति का विवरण
1.	केन्टीन परिसर में कचरा/डिस्पोजल बिखरे हुए पाये जाने पर	प्रति शिकायत	500.00
2.	केन्टीन स्थल के आस-पास खाली जगह पर केन्टीन का कचरा/डिस्पोजल आदि फेंके जाने	प्रति शिकायत	500.00
3.	केन्टीन भवन के फर्श, टेबल, कुर्सियों आदि की समुचित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं पाई जाने पर	प्रति शिकायत	500.00
4.	प्रतिबंधित सामग्री विक्रय करने पर	प्रति शिकायत	5000.00
5.	निर्धारित मात्रा से कम सामग्री विक्रय की जाने एवं एक्सापायरी डेट की सामग्री का विक्रय किया जाने पर	प्रति शिकायत	1500.00
6.	विक्रय की जा रही खाद्य/पेय सामग्री की गुणवत्ता में कमी रहने पर	प्रति शिकायत	1500.00
7.	संस्थान एवं केन्टीन में सप्लाई की जाने वाली खाद्य/पेय सामग्री के बर्तन यथा चाय केटली, कप, प्लेट आदि पूर्णतया स्वच्छ एवं साफ नहीं होने पर	प्रति शिकायत	500.00
8.	किसी प्रकार की मिलावट, दूषित एवं बासी सामग्री विक्रय किये जाने पर	प्रति शिकायत	1500.00
9.	केन्टीन कार्य हेतु लगाये गये श्रमिक निर्धारित वर्दी/वेशभुषा में नहीं पाये जाने पर	प्रति शिकायत	500.00
10.	केन्टीन स्थल का उपयोग रहने/रात्री के समय सोने हेतु उपयोग में लिये जाने पर	प्रति शिकायत	11000.00

नोट : उपरोक्त में से किसी भी कार्य हेतु लगातार तीन से अधिक बार शिकायत प्राप्त हाने पर कार्य असन्तोषप्रद मानते हुए फर्म का ठेका निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था आर-केट, जयपुर का होगा।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्स्ड टेक्नॉलोजी, जयपुर

अनिवार्य आईटमों का प्रपत्र मय दर

पार्ट – ए

Sr.No.	Items	Specification	Rate (Rs.)
1.	Tea	1 cup 150ml	10.00
2.	Hot Coffee	1 cup 150ml	20.00
3.	Samoss /Kachori Standard Size	One Peace	20.00
4.	Poha	100 gm.	20.00
5.	Maggi	One Plate	20.00
6.	Lunch (Pkt.)	Chapati 4 with makkhan, Season Subji + Dal, Dahi/Rayta	100.00
7.	Lunch	Chapati 4 with makkhan, Singl Subji	70.00

नोट:- दरों में सभी टैक्स शामिल समझे जायेंगे ।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्स्ड टेक्नॉलोजी
(आर-केट) सूचना केन्द्र, एस.एम.एस. हॉस्पिटल के सामने,
जयपुर – 302 004

वित्तीय बोली

क्र.स.	विवरण	राशि प्रतिमाह समेकित (रूपयों में)
1	केन्टीन को उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान हेतु सुविधा शुल्क	अंको में शब्दों में

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)